बिहार सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषयः–उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3223, दिनांक–26.08.2025 द्वारा निर्गत "बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (BIIPP), 2025" तथा संकल्प ज्ञापांक–1822, दिनांक–01.09.2016 द्वारा निर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन के संबंध में।

1. निवेश की निरन्तरता सुनिश्चित करने, बियाडा द्वारा भूमि आवंटन को सुगम बनाने एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **BIIPP, 2025 (संकल्प ज्ञापांक–3223, दिनांक–26.08.2025)** का दिनांक–30.06.2026 तक अवधि विस्तार एवं **BIIPP, 2025 तथा** बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (**संकल्प ज्ञापांक–1822,दिनांक–01.09.2016**) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है : –

(क) BIIPP, 2025 की "**कंडिका–1 सामान्य शर्ते**" की उप कंडिका (i) एवं (iii) को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता हैः –

(i) इस पैकेज के अनुसार, नई औद्योगिक इकाईयों को 30 जून, 2026 तक उद्योग विभाग के सिंगल विन्डो क्लीयरेंस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। औद्योगिक इकाई की न्यूनतम परियोजना लागत ₹50 लाख से अधिक होनी चाहिए। परियोजना के कार्यान्वयन के माइलस्टोन निम्न प्रकार से होंगेः–

क्र0सं0	उद्योग श्रेणी	परियोजना माइलस्टोन
1.	सूक्ष्म	सिविल निर्माण–9 माह
		वाणिज्यिक उत्पादन–12 माह
2.	लघु	सिविल निर्माण–12 माह
		वाणिज्यिक उत्पादन–18 माह
3.	मध्यम	सिविल निर्माण–18 माह
		वाणिज्यिक उत्पादन–24 माह
4.	वृहत	सिविल निर्माण–24 माह
		वाणिज्यिक उत्पादन–30 माह

(iii) ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिन्हें BIIPP, 2016 अथवा बिहार सरकार की किसी अन्य औद्योगिक एवं क्रियाशील नीति के अंतर्गत किसी भी स्तर पर स्वीकृति प्राप्त है, वे BIIPP, 2025 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लाभ/प्रोत्साहन के लिए पात्र नही होंगी।

(ख) BIIPP, 2025 की "**कंडिका–1 सामान्य शर्ते**" में उप कंडिका (vi) के पश्चात उप कंडिका (vii) निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है –

(vii) ऐसी कोई भी इकाइयाँ (विनिर्माण या सेवा क्षेत्र), जिसे BIIPP, 2016 अथवा बिहार सरकार की किसी अन्य औद्योगिक एवं क्रियाशील नीति के अंतर्गत किसी भी स्तर पर स्वीकृति/लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, जो बियाडा द्वारा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों/निजी भूमि पर स्थित है एवं अपने उत्पाद/सेवा में किसी नए क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहती है, उसे इस पैकेज के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा, शर्त्त यह है कि इकाई पूर्व से जिस नीति के अधीन आच्छादित है, उसके सभी शर्तो का पालन करना होगा एवं BIIPP, 2016 के प्रावधानों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त स्थिति में परिवर्तित उत्पाद पर होने वाले केवल अतिरिक्त परियोजना लागत पर ही BIIPP, 2025 का लाभ देय होगा। विद्यमान परियोजनाओं का नवीनीकरण इस पैकेज के अंतर्गत लाभ हेतु पात्र नहीं होगा। यदि इकाई को भूमि संबंधित किसी भी प्रकार का अनुदान पूर्व में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अथवा उद्योग विभाग द्वारा संचालित अन्य क्रियाशील नीति के अंतर्गत दिया गया है, तो उक्त भूमि संबंधित अनुदान BIIPP, 2025 के अंतर्गत देय नहीं होगा।

(ग) BIIPP, 2025 की "**उप कंडिका– 4.5 (II)– मेगा इकाईयां**" के संबंध में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता हैः –

उप कंडिका 4.5 (II) में "अनुमोदित परियोजना लागत रु0 200 करोड़ से अधिक" के स्थान पर "**अनुमोदित परियोजना लागत रु0 200 करोड़ से अधिक एवं रु0 500 करोड़ तक**" प्रतिस्थापित किया जाएगा, शेष सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

(घ) BIIPP, 2025 की "कंडिका–5 "बियाडा द्वारा औद्योगिक भूमि आवंटन" में उप कंडिका–5.1 निम्न प्रकार जोड़ा जाता हैः–

उप कंडिका–5.1– इस पैकेज के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र अथवा इकाई श्रेणी के लिए भूमि आवंटन की मात्रा एवं संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। यह आवंटन बियाडा के प्रचलित नियमों (समय–समय पर संशोधित) के अनुसार नियंत्रित एवं शासित होगा। विरोधाभास की स्थिति में यह सभी प्रावधानों पर अभिभावी होगा एवं उन्हें अतिक्रमित करेगा, जिसमें BIIPP, 2016 विशेष रूप से धारा 5.2.2 (ख) में निहित प्रावधान भी शामिल हैं।

(ड.) BIIPP, 2025 की "**कंडिका–6 भूमि आवंटन पर विशेष रियायत**" को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

कंडिका 6 भूमि आवंटन संबंधी रियायत–

औद्योगिकीकरण को तीव्र करने एवं इस पैकेज में सूचीबद्ध विनिर्माण इकाईयों की स्थापना को सुगम बनाने हेतु, सभी क्षेत्रों में, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में, भूमि आवंटन 30 वर्ष, 60 वर्ष अथवा 90 वर्ष की अवधि के लिए आवंटीग्रहीता द्वारा चुनी गई अवधि के अनुसार, अनुपातिक रूप से कम दरों पर किया जाएगा।

(च) BIIPP, 2025 की **"उप कंडिका–6.1"** को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

उप कंडिका–6.1– इस पैकेज के अन्तर्गत रोजगार एवं निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु, भूमि का आवंटन आवश्यकता के अनुसार ₹1 के टोकन राशि पर किया जाएगा तथा अन्तर की राशि को SIPB के माध्यम से प्रोत्साहन के रूप में प्रतिपूर्ति किया जाएगा।

(छ) BIIPP, 2025 की **"उप कंडिका–6.1"** के अंतर्गत उपखण्ड (IV), (V) एवं (VI) निम्न प्रकार जोड़ा जाता है –

(IV)– ₹1 की दर पर भूमि आवंटन हेतु निवेशक को प्रारम्भ में चयनित भूमि का पूर्ण मूल्य बियाडा के पास जमा करना होगा। BIIPP, 2025 की स्वीकृति एवं धारा 6.3 के अंतर्गत सभी पात्रता मानदंडों की पूर्ति के पश्चात शेष राशि 01 किश्त मे SIPB द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी, शर्त यह है कि इकाई की कार्यरत स्थिति का सत्यापन GM, DIC द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाए।

(V)– बियाडा को जमा भूमि मूल्य, स्वीकृत भुगतान अनुसूची के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के सत्यापन तक सुरक्षा के रूप में रखा जाएगा। इस माइलस्टोन की प्राप्ति के पश्चात ही प्रतिपूर्ति की पात्रता उत्पन्न होगी। निर्धारित अवधि में बियाडा की प्रभावी भूमि आवंटन नीति के अनुसार अनुपालन न होने पर इकाई किसी भी प्रतिपूर्ति के लिए अपात्र हो जाएगी। कोई भी अनुमान्य प्रतिपूर्ति बियाडा को जमा की गई भूमि की राशि तक सीमित होगी और यह अनुमान्य प्रतिपूर्ति दर द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(VI)– प्रोत्साहन का लाभ लेने वाली इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा एवं उत्पादन की तिथि से कम से कम 05 वर्ष तक संचालन में रहना होगा, अन्यथा 18% की दर से वसूली की जायेगी। उत्पादन की तिथि का सत्यापन संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जायेगा। मेगा/सुपर मेगा इकाईयों के लिए उद्योग निदेशक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

किसी भी माइलस्टोन से संबंधित विवाद की स्थिति में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(ज) BIIPP, 2025 की "**उप कंडिका–6.2**" को प्रतिस्थापित एवं इसके अंतर्गत उपखण्ड (I), (II) एवं (III) निम्न प्रकार जोड़ा जाता है –

उप कंडिका–6.2– अन्य कम्पनीयों को बियाडा द्वारा अधिसूचित दर के 50% की रियायत पर भूमि आवंटन हेतु पात्र माना जाएगा, जो SIPB के माध्यम से प्रोत्साहन के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(I)– रियायती पैकेज के अंतर्गत 50% की दर पर भूमि आवंटन हेतु निवेशक को प्रारंभ में चयिनत भूमि का पूर्ण मूल्य बियाडा के पास जमा करना होगा। BIIPP 2025 की स्वीकृति एवं धारा 6.3 के अंतर्गत सभी पात्रता मानदंडों की पूर्ति के पश्चात शेष राशि SIPB द्वारा प्रोत्साहन के रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(II)– इकाई द्वारा बियाडा के पास जमा भूमि मूल्य, स्वीकृत भुगतान अनुसूची के अनुसार, वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के सत्यापन तक सुरक्षा के रूप में रखा जाएगा। इस माइलस्टोन की प्राप्ति के पश्चात प्रतिपूर्ति की पात्रता उत्पन्न होगी। निर्धारित अवधि में अनुपालन न होने पर इकाई किसी भी प्रतिपूर्ति के लिए अपात्र हो जाएगी।

(III)– अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति 01 किश्त में की जाएगी, शर्त यह है कि इकाई की कार्यरत स्थिति का सत्यापन GM, DIC द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जाएगा। प्रोत्साहन का लाभ लेनेवाली इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा एवं उत्पादन की से कम से कम 05 वर्ष तक संचालन में रहना होगा, अन्यथा 18 प्रतिशत् की दर से वसूली की जायेगी। वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि का सत्यापन संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाएगा। मेगा/सुपर मेगा उद्योगों के लिए ।नेदेशक, उद्योग द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

किसी भी माइलस्टोन से संबंधित विवाद की स्थिति में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

(झ) BIIPP, 2025 की "**उप कंडिका–6.3**" को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

उप कंडिका 6.3– उपरोक्त सभी भूमि आवंटन रियायतें सामान्य औद्योगिक क्षेत्र अथवा विशिष्ट क्षेत्रीय औद्योगिक पार्क में लागू होगी, जो धारा 5 में परिभाषित उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों पर लागू होगी। प्रतिपूर्ति की अनुमति इस शर्त पर होगी कि निवेशक द्वारा BIIPP, 2025 के अंतर्गत निर्धारित सभी पात्रता एवं नियम–शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर निवेशक को भूमि की पूर्ण अधिसूचित दर का भुगतान करना होगा एवं किसी भी विशेष रियायती दर का लाभ नहीं मिलेगा।

इसके लिए पूर्वशर्त्त यह है कि भूमि का आवंटन अधिसूचना की तिथि के पश्चात एवं BIIPP, 2025 की वैधता अवधि के अंतर्गत किया गया हो। ऐसी प्रतिपूर्ति, भूमि दरों में प्रदान की गई रियायत के प्रतिशत एवं बियाडा की भुगतान शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(ञ) BIIPP, 2016 की "**उप कंडिका 5.2.2 (ख)** को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

उप कंडिका 5.2.2 (ख)– नीतिगत निर्णय के रूप में बियाडा के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन विनिर्माण एवं पात्र सेवा इकाइयों को अधिसूचित मानदण्डों एवं कर्णांकित नियमों के अनुसार किया जाएगा, जो बियाडा की भूमि आवंटन नीति के अंतर्गत समय–समय पर अधिसूचित की जाती है।

इसके विपरीत किसी भी प्रावधान को निरस्त माना जाएगा।

1. इस के अर्थ एवं व्याख्या में किसी भी विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण बाध्यकारी एवं मान्य होगा।

2. उक्त पर मंत्रीपरिषद् की **दिनांक–13.05.2026** के बैठक की **मद संख्या– 11** के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(कुन्दन कुमार)
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–04/तक०/नीति संशोधन/07/2020/पार्ट–I

प्रतिलिपिः–मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–04/तक०/नीति संशोधन/07/2020/पार्ट–I

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–04/तक०/नीति संशोधन/07/2020/पार्ट–I

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बियाडा /उद्योग निदेशक/निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–04/तक०/नीति संशोधन/07/2020/पार्ट–I

प्रतिलिपि :–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– ..... /पटना, दिनांकः– .....

सं0सं0–04/तक०/नीति संशोधन/07/2020/पार्ट–I

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।

ह0/–
सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– SIPB/1283 /पटना, दिनांकः– 20/05/26

सं0सं0–04/तक०/नीति संशोधन/07/2020/पार्ट–I

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।